राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12431/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
सूरज चंद अग्रवाल वार्ड न. 24, म.न. 34/39, नजदीक बच्चन सिंह राजू आटा चक्की, भिवानी अन्य , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं रजिस्ट्रार राजस्थाान विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 22-03-2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री शेर सिंह, सहायक रजिस्ट्रार उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 13-02-2017 के द्वारा एलएलबी प्रथम वर्ष सप्लीमेन्ट्री 2016 के परिणाम दिनांक 11-02-2017 में रोल नं0 1332039, 1332040, 1331388, 1332049, 9008, 9006, 9011 के अग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति तथा इसी प्रकार एलएलबी द्वितीय वर्ष सप्लीमेन्ट्री 2016 से संबंधित कुछ विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने बताया कि आवेदन में चाही गई सूचना उपलब्ध कराने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी ने चाही गई सूचना तृतीय पक्ष की होने के कारण अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत अदेय है। इस संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 11-03-2017 से अवगत करा दिया गया है। प्रथम अपील निर्णय दिनांक 19-04-2017 में भी अपील अस्वीकार करते हुए राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय को उचित माना गया है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 21-03-2018 न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया। जिससे भी उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त